19/12/16 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] पर हैं। अतः पत्रावली [illegible] कार्यवाही दिनांक 22.2.17 को पेश हो।

22/2/17 [illegible] न्यायालय कार्य का बहिष्कार/[illegible] पर रहा है। अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12/5/17 को पेश हो।

12/5/17 पत्रावली पेश हुई वकील [illegible] पत्रावली वास्ते [illegible] आदेश दि. 1/1/17 को पेश हो/ [illegible] का [illegible] हो जाने पर पत्रावली दिनांक 1.6.17 को पेश हो

1.6.17 पत्रावली आज कैम्प कोर्ट गुढ़ा [illegible] में पेश हुई। प्रकरण में वादियागण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया है कि वाद पत्र में वांछित अनुतोष के अनुसार दावा डिक्री कर दिया जावे। राजस्व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 ग्राम केड के अनुसार वादियागण एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 भूमि ख.नं. 331 रकबा 0.04 है. 332 रकबा 3.56 है. के रिकार्डेड खातेदार होना साबित है। उक्त वर्णित भूमि शामलाती खातेदारी भूमि है तथा भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 उक्त वर्णित भूमि में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार विधिवत विभाजन करवाने के अधिकारी है।

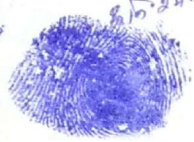

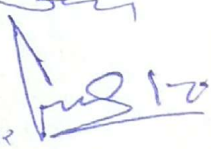

आदेश

वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा प्राथमिक डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम केड की सरहद में स्थित भूमि ख.नं. 331 0.04 है. एवं ख.नं. 332 रकबा 3.56 है. का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 का हिस्सा एवं कब्जा के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विधिवत विभाजन किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी उभय पक्षकारान की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करे तथा मय नक्शा के दो प्रतियों में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद तकमील नम्बर से कम होकर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned by CamScanner